सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थनापत्र सं. 99/2015

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

बजरंगलाल पुत्र हरचन्दा जाति मीणा निवासी मोडी तहसील सावर जिला अजमेर

–वादी

♠ बनाम ♠

1. ओमप्रकाश पुत्र हरचन्दा जाति मीणा निवासी मोडी तहसील सावर
2. हरचन्दा पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी मोडी तहसील सावर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर

–––प्रतिवादीगण

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक 06.06.2018

पत्रावली आज दिनांक 06.06.2018 को केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प टांकावास में पेश हुई। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की प्रार्थनापत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम मोड़ी तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2070–73 के खसरा नम्बर 815, 844, 847, 848, 857, 858 किता 6 कुल रकबा 1.82 है. एवं खसरा नम्बर 814 रकबा 0.34 हैक्ट, प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज खातेदारी है। प्रार्थी व अप्रार्थी स. 1 लगायत 2 अविभाजित संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वाद वर्णित आराजीयात प्रार्थी की पैतृक सम्पति है प्रार्थी व अप्रार्थी स. 1 सगे भाई है तथा अप्रार्थी स. 2 प्रार्थी व अप्रार्थी स. 1 के पिता है। वाद वर्णित आराजीयात पर प्रार्थी व अप्रार्थी स. 1 का सयुंक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है। मौके पर अप्रार्थी स. 1 का भौतिक रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी स. 2 वृद्व है जो कि अप्रार्थी सं 1 के पास ही रह रहा है। प्रार्थी बाहर प्राईवेट नोकरी करता है। प्रार्थानापत्र वर्णित आराजीयात पर अप्रार्थी संख्या 1 अपने पिता अप्रार्थी सं. 2 को बहकाकर उक्त आराजीयात को बैचान व हस्तांतरण करने पर आमादा है जिससे प्रार्थी को उक्त आराजीयात का 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित होगा। अप्रार्थी सं.1 व 2 उक्त आराजीयात से प्रार्थी को बैदखल करने पर आमादा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण स्वयं एवं उनके नोकर चाकर हाली सीरी इत्यादी को वाद निस्तारित होने तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि आराजीयात के संयुक्त कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करें, आराजीयात को रहन, बैचान, अन्तरण, हस्तांतरण नही करें एवं न ही प्रार्थी को बैदखल करें।

हमने प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। पत्रावली में अप्रार्थीगण को जवाब हेतु दिनांक 11.9.2017 से अबतक मौके दिये गये। पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प टांकावास में पेश हुई ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 814 के जमाबन्दी दस्तावेज पत्रावली में पेश नही किये गये है। अप्रार्थीगण को यदि रोका नही गया तो वाद–विवाद उत्पन्न होने की स्थिति से इन्कार नही किया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 वाके ग्राम मोड़ी तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित खाता संख्या 162 के खसरा नम्बर 814 की जमाबन्दी दस्तावेज पत्रावली में पेश नही करने के कारण खसरा नम्बर 814 को छोडते हुए जमाबन्दी संवत 2070–73 के खसरा नम्बर 815, 844, 847, 848, 857, 858 किता 6 कुल रकबा 1.82 है. भूमि का स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को मूल दावा निस्तारण होने तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण स्वयं एवं उनके नोकर चाकर हाली सीरी इत्यादी , आराजीयात के संयुक्त कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करें, आराजीयात को रहन, बैचान, अन्तरण, हस्तांतरण नही करें एवं न ही प्रार्थी को बैदखल करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी